

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संचिका संख्या-7/पर्या0प्रदू0-09/2016

व0प0, राँची दिनांक-

अधिसूचना

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत वनभूमि/गैर वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन एवं पातन से प्राप्त वन उत्पाद के परिवहन के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41, 42 एवं 76 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-रा0व्या0-11/2000-2402 व0प0 दिनांक-21.06.2004 द्वारा राज्य की सीमा के अन्तर्गत वन उत्पाद के पातन एवं परिवहन की विनियमित करने के लिए "झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पाद (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2004 अधिसूचित की गई है जिसके आलोक में वृक्षों के पातन एवं परिवहन प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु प्रावधान किए गए हैं। ऐसी उद्योगों/स्थापना के वृक्षों के पातन के आधार पर जोखिम आधारित आकलन के लिए इन्हें उच्च मध्यम एवं लघु श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है।

2. संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सभी उद्योगों/स्थापना के लिए भारत औसत के आधार पर जोखिम का वर्गीकरण उच्च, मध्यम एवं लघु श्रेणी में किया जायेगा।
3. संलग्न परिशिष्ट "ख" के अनुसार वन भूमि/गैर वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों का पातन एवं पातन से प्राप्त वन उत्पाद के परिवहन का Standard Operating Procedure एवं Timeline निर्धारित किया जायेगा।
4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

अनु0-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/पर्या0प्रदू0-09/2016

व0प0, राँची दिनांक-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की 500 प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/पर्या0प्रदू0-09/2016 1263

व0प0, राँची दिनांक- 03.03.2016

प्रतिलिपि:-सानुलग्नक मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी तथा मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

INSPECTION PROCEDURE

1. Pre-Inspection

1. a) Regular inspection of Tree felling and transit permission is generated based on computerized risk based assessment on following parameters:

▪ Number of Trees

- More than 50 trees (High risk)
- 50 to 25 trees (Medium Risk)
- less than 25 trees (low risk)

▪ As per Bihar Van upaj (VayaparViniyaman) Adhiniyam, 1984 following eight species are protected:

- Saal (साल)
- Aasan (आसन)
- Gamhar (गम्हर)
- Bija (बीजा)
- Salai (सलाई)
- Khaar (खैर)
- Sagwan (सागवान)
- Karam (करम)

▪ Type of Land

- Forest Land
- Gairmajurwa Land
- Raiyati Land

1. b) Weightage of these parameters is as follows:

Parameter	Weightage
Number of Tree	
1-25	1
26-50	2
More than 50	3

Protected Species	
Saal (साल)	9
Aasan (आसन)	8
Gamhar (गम्हर)	7
Bija (बीजा)	6
Salai (सलई)	5
Khaar (खैर)	4
Sagwan (सागवान)	3
Karam(करम)	2
Other	1
Type of Land	Weightage
Forest Land	1
Gairmajurwa Land	2
Raiyati Land	3

1. c) The establishments are categorized into High, Medium and Low risk establishment as per the following definition:

Risk Type	Range
High Risk	7 to 15
Medium Risk	5 to 6
Low Risk	3to 4